

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का अधिकार क्षेत्र

- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी ।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी V के स्तर के तथा उससे उपर के स्तर के अधिकारी ।
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी 'घ' तथा इससे उपर के स्तर के अधिकारी ।
- अनुसूची 'क' तथा 'ख' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-8 तथा इससे उपर के अन्य अधिकारी ।
- अनुसूची 'ग' तथा 'घ' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-7 तथा इससे उपर के अन्य अधिकारी ।
- सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबन्धक एवं इससे उपर के अधिकारी ।
- जीवन बीमा निगमों में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक एवं इससे उपर के अधिकारी ।
- समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में अधिसूचना की तिथि को तथा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार केन्द्र सरकार डी.ए. प्रतिमान पर 8700/- ₹0 प्रतिमाह तथा इससे उपर वेतन पानेवाले अधिकारी ।